

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013

जयपुर, दिनांक: 09.10.2017

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.2017 के बिन्दु संख्या- 02 एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों/प्रार्थी द्वारा दिये जाने वाले स्वघोषणा में अंकित में उल्लेखित "शपथ पत्र" के स्थान पर साधारण कागज पर स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा (सेल्फ अटैस्टेड) पढा जावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि "आवेदक/प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने, दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद देने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.- 01) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.02.2015" (संलग्न) के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(प्रीति माथुर)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त प्रभारी मंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त प्रभारी सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम. लि0, जयपुर।
10. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

DC

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-1) विभाग

क्रमांक प. 15 (1) प्रसु/अनु-1/2014

जयपुर, दिनांक: 06 फरवरी, 2015

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलेक्टर/
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

-:परिषद:-

विषय:-शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने, दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद देने बाबत।

आपका ध्यान राज्य सरकार के निम्नांकित आदेशों/परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है:-

1. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F.15 (1)AR/Gr-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के इन आदेशों का आम जन तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी कार्यालयों के सूचना पट्ट एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन वाल पेंटिंग्स के माध्यम से अंकित किये जावें:-

"राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।"

2. राज्य सरकार के आदेश प. 3 (8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत/कार्यालय में प्राप्त होने वाले परिवाद/शिकायत/आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है। अतः आम जन की सुविधा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/अन्य कार्यालयों के सूचना पट्ट/पोस्टर/दीवार लेखन अथवा स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन अंकित किये जावें:-


(अ) ग्राम पंचायत हेतु:-

“यहां समस्त विभागों से संबंधित परिवाद/परिवेदनाएं/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।”

(ब) संबंधित विभागों के कार्यालयों के सूचना पट्ट हेतु :-


“यहां पर इश विभाग/कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।”

कृपया उक्त आदेशों की पालना करके 15 दिवस में पालना रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को ई-मेल आई.डी. cmv@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावें।


(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. सचिव, (प्रथम/द्वितीय)/विशिष्ट सचिव मा. मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-समस्त राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल/स्वायत्तशासी निकाय/जिला परिषद
5. रक्षित पत्रावली।


(राकेश वानी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव